दिनांकः 11 अक्टूबर, 2014

Sangam
A CSR Initiative by arise

माननीय,
श्रीमती मेनका गाँधी जी,
यूनियन कैबिनेट मंत्री – महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय
14, अशोका रोड, नई दिल्ली–110001, भारत

विषयः बाल कल्याण हेतु संगम के सुझाव

महोदया,

संगम ने भारत वर्ष में कार्यरत NGO से कई बार बाल कल्याण व विकास को प्राथमिकता देते हुए गहन विचार विमर्श किया और NGO से बातचीत के दौरान संगम ने यह जाना कि ज्यादातर NGO को बच्चों से सम्बंधित जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाते समय एक ही तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन वार्तालापों के फलस्वरुप, संगम ने कुछ ऐसी ज़रुरतों को जाना जिनके पूरा होने पर सभी NGO सफलतापूर्वक बेहतर तरीके से बच्चों के उत्तम भविष्य का निर्माण कर सकेंगे –

- **सभी NGO के लिए राशन कार्ड**
- **सभी NGO को सब्सिडी रेट पर गैस सिलेंडर**
- **सभी NGO को बिजली के बिल कमरशियल रेट के बजाए डामेस्टिक कैटेगरी के तहत जारी हों**
- **लाइसेंस लागू करने की प्रक्रिया सरल हो**
- **सभी NGO को सम्बंधित विभाग की ओर से कम से कम तीन साल का लाइसेंस और लाइसेंस खत्म होने से तीन महीने पहले ही स्वतः नवोनोकरण का प्रावधान**
- **सभी NGO को प्रत्येक बच्चे के लिए 1500/- मासिक धनराशी सरकारी सहायता के रुप में मिलें**
- **NGO में रहने वाले सभी बच्चों को EWS category के तहत प्राथमिकता मिले**
- **CWC के द्वारा जारी ऑर्डर शोट / रिस्टोरेशन फार्म को ही NGO में रहने वाले सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र व एड्रेस प्रूफ माना जाए**
- **NGO में रहने वाले सभी बच्चों के आधार कार्ड व अन्य जरुरी कागजात जैसे – पासपार्ट इत्यादि के लिए CWC की ऑर्डर शीट को ही प्रमाण माना जाएगा**
- **NGO में रहने वाले सभी बच्चों को उनसे सम्बंधित सरकारी योजनाओं जैसे लाडली योजना, गृहलक्ष्मी योजना इत्यादि द्वारा सहायता मिले**

हम सदैव आपके अनुग्रहित होंगे यदि आप उपरोक्त सुझावों को लागू कर इन जरुरतमंद बच्चों के पालन–पोषण एवं विकास हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें।

भवदीय

अविनाश जैन
फाउंडर प्रेसिडेंट, संगम